

## कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक ११० / 14-1(49462/2020), आगरा, दिनांक, ०/ सितम्बर, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी० एस० टी० पी० के निर्माण हेतु बॉईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/9/94/2023/एफ०सी०/153 दि० 31.05.23 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक-3800/11-सी दिनांक 01.06.2023.


महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर बिन्दुवार आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित पोर्टल पर अपलोड कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 859/14-1 दिनांक 30.08.2023 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर आख्या निम्नवत् है :-

S.No	Observation	Reply
1.	As per kml file and area proposed for diversion is 0.0507 ha. which is not matching with the proposal area. kml file of the area proposed for diversion needs to be rectified. The complete kml file of the area proposed for diversion need to be uploaded on PARIVESH portal.	के०एम०एल० फाइल में प्रस्तावित क्षेत्र संशोधित कर दिया गया है।
2.	CA needs to be proposed in equivalent non-forest land. Accordingly, CA sheme, kml file and related documents need to be uploaded on PARIVESH portal.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का संशोधित के०एम०एल० फाइल, भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन तथा जीयो रिफ्रेंशमैप संलग्न है।

विषयांकित प्रकरण में अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।


संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,  
  
(वी०के० मिश्र)  
वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक ११० / समदिनांकित।

1-प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्रांक 859/14-1 दिनांक 30.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(वी०के० मिश्र)  
वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।